

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(वीआरएस-81)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती अमृत कौर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोजत सिटी, जिला पाली को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 25.05.2017 से 08.07.2017 तक 45 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
2. दिनांक 09.07.2017 से 14.07.2017 तक 06 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 15.07.2017 से 12.08.2017 तक 29 दिवस का परिवर्तित अवकाश।
4. दिनांक 13.08.2017 से 04.12.2017 तक 114 दिवस का उपार्जित अवकाश।
5. दिनांक 05.12.2017 से 18.12.2017 तक 14 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।

—२०—  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(वीआरएस-81)/2018/2056

दिनांक:- 28/09/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोजत सिटी (जिला पाली)।
- ✓ 3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमती अमृत कौर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सेवानिवृत्त) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर